पारिवारिक हिंसा-एक और आयाम

सुहास कुमार

एक लम्बे अरसे से महिलाओं पर हिंसा अनेक रूप लेती रही है। कभी उसे स्त्री होने के नाते बोलने से रोक दिया जाता है, तो कभी उसकी अग्निपरीक्षा ली जाती है। कभी उसे जुए में दांव पर लगाया जाता है, तो कभी उसे सरेआम निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है। सती-प्रथा जौहर-प्रथा, विधवा-विवाह न होने देना, बाल-विवाह के रूप में यह हिंसा अनेक रूप लेती है। घरों में स्त्रियों की मार-पिटाई, तानाकशी, दहेज तथा अन्य बहानों से मानसिक उत्पीड़न पारिवारिक हिंसा के ही रुप है। घर-बाहर में यौन हिंसा भी आम बात है।

आज इस सूची में एक और आयाम जुड़ गया है। वह काम काजी महिलाओं का आर्थिक शोषण। पहले तो उसे जायदाद और शिक्षा से मोहताज रखा गया। आज जब स्थिति में कुछ बदलाव आया है तो एक नई समस्या पैदा हो गई है। चाहे आर्थिक मजबूरी हो या स्त्री की निजी इच्छा आज की स्त्री नौकरी पेशा अपना रही है। विडम्बना यह है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर भी वह आर्थिक आजादी नहीं पा सकी है। न तो वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाई है और न ही अपनी कमाई को अपने ढंग से खर्च करने के लिए वह आजाद है। घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं होती। बाहर नौकरी करके कमाए वेतन से भी घरेलू खर्च चलाना होता है। इसमें दिक्कत तब आती है जब पुरुष घरेलू ज़िम्मेदारियों से धीरे-धीरे हाथ खींचते ही जाते हैं। उनके शौक और मनोरंजन का खर्चा घर की जरूरतों से बढ़कर हो जाता है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा उनके जेबखर्च पर खर्च होता है। स्त्री घर-बाहर दोनों जगह खटती है। फिर भी वह आर्थिक असुरक्षा से घिरी रहती है।

यह समस्या आज निम्न व मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गई है। आज अनेक घरों में आर्थिक तनाव के कारण पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो रहा है। यही नहीं परिवारों के टूटने का कारण भी बन रहा है। एक मनोवैज्ञानिक डॉ. कोठारी ने बताया कि उनके यहां एक डाक्टर दम्पत्ति का केस आया। पति घर में एक पैसा भी नहीं देता था। अपनी सारी कमाई को वह अपनी निजी संपत्ति मानता था।

साभार अगेंस्ट ऑल औड्स

पति घर में कितना खर्चा दे इस संबंध में कोई कानून नहीं है। हालांकि आज यह तलाक के

मुख्य कारणों में से एक बन गया है। विवाहित जीवन में एक समय आता है जब स्त्री को लगता है कि उसके हिस्से में क्या आया? हर तरह से सहयोग करके यदि मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न ही मिले तो अकेले रहना बेहतर है। एक महिला वकील, रानी जेठमलानी का कहना है कि पारिवारिक हिंसा और वैवाहिक गृह (मैट्रोमोनियल होम) बिल पारित होना बहुत ज़रूरी है, तभी स्त्रियों को उनके अधिकार व न्याय मिल सकेंगे। आज कानूनी स्थिति यह है कि जो पति पत्नी को अपनी कमाई का आधा हिस्सा नहीं देते उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। 'वैवाहिक घर

बिल' में पत्नी को पति के आवास गृह पर 50 फ़ीसदी अधिकार मिलने की मांग की गई है। जब तक कानूनी रूप से यह अधिकार नहीं मिलता क्या स्त्रियां अपने बुनियादी अधिकारों से मोहताज रहेंगी? यह बहुत ज़रूरी है कि पति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह समझें। केवल औरतों के कंधे पर समझौते और पारिवारिक शांति की पूरी ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

एक सच यह भी

हम अपनी बेटियों को मानसिक रूप से तैयार नहीं करते। रूमानी सपने संजोए जब एक पढ़ी लिखी लड़की विवाहित जीवन में प्रवेश करती है तो अनेक सच्चाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। ससुराल में एक अलग तरह के माहौल में वह खुद को ढाल नहीं पाती। नतीजन झगड़े और क्लेश बढ़ जाते हैं। ज़रूरत लड़कियों को मज़बूत बनाने की है। उन्हें पूरी पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा देने की है। कई सामाजिक संगठन व महिला संगठन ऐसा मंच प्रस्तुत करते हैं जहां लड़कियां व महिलाएं खुलकर बात कर सकें। खुद हमें एकजुट होकर पारिवारिक हिंसा से जूझने का रास्ता निकालना होगा।

इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मुख्य रूप से सोच बदलने की जरूरत है। एक मिथ्या धारणा व भ्रांति यह है कि घर पारिवारिक औरतों की सुख-सुविधा के लिए बनाया गया है। यह मुख्यतया उनकी ज़रूरत है। गहराई से देखें तो परिवार में सबसे ज़्यादा किसे सुख-सुविधा मिलती है? औरतें तो अधिकतर एक बेचारगी व लाचारगी की स्थिति में ही रहती हैं। समझौतों से जीया जीवन कोई जीवन नहीं है। क्या हम औरतें कभी अपनी शर्तों पर जीवन जी सकेंगी? सोच कर देखें। हल तो हमें ही निकालना होगा। □

खुद मैंने बोया, खुद मैंने सींचा
खुद मैंने काटा, खुद मैंने ढोया
फिर तुमने मुझे, बोझ क्यों माना?